न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs.20/-

483
14/11/14

R-3904-III/14

1. सूर्यप्रकाश विश्वकर्मा, उम्र 62 वर्ष,
2. दिनेश कुमार विश्वकर्मा, उम्र 60 वर्ष,
3. उदय प्रकाश विश्वकर्मा, उम्र 58 वर्ष,
4. अशोक कुमार विश्वकर्मा, उम्र 56 वर्ष,
5. अभय कुमार विश्वकर्मा, उम्र 50 वर्ष,
6. अरुण कुमार विश्वकर्मा, उम्र 46 वर्ष,

सभी के पिता स्व. श्री गणेश प्रसाद, सभी निवासी वार्ड नं. 24 कमसरियत रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 11.11.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

.... आवेदकगण

बनाम

1. मध्यप्रदेश राज्य।
2. विजय कुमार विश्वकर्मा तनय स्व. श्री गणेश प्रसाद, निवासी कमसरियत रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

क्रमांक__________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक__________को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... अनावेदकगण

क्रमांक 3640
13/11/14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध कार्यवाही व आदेश नक्शा तरमीम तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा दिनांक 15.09.2014 जो प्रकरण क्र. 685/अ–74/2013–14 (विजय कुमार विरुद्ध सूर्य प्रकाश वगैरह) में पारित।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3904-III-14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	मैंने निगराकारगण के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया। तर्क में वही बिन्दु दोहराए गए जो निगरानी मेमो में लिखे हैं, जिन्हें यहाँ पुनः उद्धृत नहीं किया जा रहा किन्तु जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दि. 15-9-14 के अन्तिम पैरा में यह लिखा है कि रा.मं. के प्र.क्र. 2428-3/13 में पारित आदेश दि. 20-9-13 के अनुसार अभिलेख दुरुस्त किए जावें एवं मौके पर वादग्रस्त भूमि चिन्हांकित करते हुए पक्षकारों को अवगत कराया जाए। यह स्पष्ट है कि संबोधित मूल वाद विषय पर रा.मं. में उपरोक्त प्रकरण में पहले भी विचार हो चुका है तथा निर्णय पारित किया जा चुका है। तहसीलदार द्वारा आक्षेपित आदेश से रा.मं. के इसी पूर्व आदेश का	

[कृ. प. उ.

R-3904-III/14 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	क्रियान्वयन कराया जा रहा है। आवेदकगण वर्तमान में रा. मं. के समक्ष, रा. मं. के ही पूर्व आदेश के क्रियान्वयन में उन्हें प्रतीत हो रही अस्पष्टता अथवा अनियमितता को लेकर आएं हैं।	
	यह बिन्दु टीप योग्य है कि कहीं भी रा.मं. के पूर्व आदेश दि. 20.9.13 के विरुद्ध किसी कार्यवाही के प्रचलित होने या किसी भी प्रकार के आदेश के पारित होने संबंधी कोई बात निगराकारगण या किसी अन्य द्वारा कहीं नहीं उठाई गई है। और तहसीलदार द्वारा उनके आक्षेपित आदेश से रा. मं. के इसी आदेश का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।	
	अतः पूर्ण विचारोपरान्त, मैं तह. के आक्षेपित आदेश दि. 5.9.14 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। साथ ही तहसीलदार को यह निर्देश देता हूँ कि वे रा. मं. के पूर्व आदेश	

शाक्षेमुगवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

3

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3904-III-14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दि. 20.9.13 का क्रियान्वयन पुरी पारदर्शिता, स्पष्टता एवं पक्षकारों की अपेक्षित भागीदारी (सूचना एवं पक्षसमर्थन का युक्तिसंगत अवसर) के साथ, विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, यथाशीघ्र पूर्ण करें। आदेश पारित। पक्षकारगण एवं तहसीलदार, तह. हुजूर, जि. रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (हस्ताक्षर) (सदस्य)	

[कृ. प. उ.